रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08082022-237998
CG-DL-E-08082022-237998

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 547] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 8, 2022/श्रावण 17, 1944
No. 547] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 8, 2022/SHRAVANA 17, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2022

सं. 67/2022-सीमा शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. 621(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 की उप-धारा (2) के खंड (कख) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम करता है, अर्थात्

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ - (1) इन विनियमों को यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियम, 2022 कहा जा सकता है।

(2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" का अर्थ है सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52);

(ख) "विमान संचालक" का अर्थ कोई व्यक्ति या संगठन या उद्यम है जो निम्नलिखित के अलावा विमान के संचालन में संलग्न या संलग्न होने की पेशकश करता है, -

(i) "राज्य विमान" जैसा कि विमान नियम, 1937 में परिभाषित किया गया है; या

(ii) कोई विमान, जिसका उपयोग यात्रियों या माल के हवाई परिवहन के लिए किया जाता है, और विशेष रूप से बोर्ड के एक आदेश द्वारा इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए बाहर रखा गया है;

भारत तक, से, या भारत के माध्यम से;

(ग) "अधिकृत एजेंट" से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो ऐसे विमान संचालक द्वारा या उसकी ओर से संचालक के विमान, चालक दल, यात्रियों, कार्गो, मेल, सामान (असंगी सामान सहित) या स्टोर के प्रवेश और निकासी से जुड़े सभी कार्यों को करने के लिए अधिकृत है।;

(घ) "चालक दल के सदस्य" का अर्थ है किसी विमान पर तैनात व्यक्ति;

(च) "प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली" का अर्थ है वह प्रणाली, जिसमें सीट संख्या और सामान की जानकारी जैसे कि चेक-इन की जानकारी होती है, जिसका उपयोग यात्रियों को उड़ान में प्रवेश से पहले जांचने के लिए किया जाता है;

(छ) "अंतर्राष्ट्रीय उड़ान" का अर्थ ऐसी किसी उड़ान से है, जो:

(i) भारत के भीतर किसी स्थान से भारत के बाहर किसी स्थान तक; या

(ii) भारत के बाहर किसी स्थान से भारत के भीतर किसी स्थान तक;

(ज) "राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र- यात्री" का अर्थ है ऐसा राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र- यात्री जो विनियमन 3 के तहत संदर्भित है;

(झ) "यात्री" में चालक दल के सदस्य के अलावा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो अंतरराष्ट्रीय उड़ान पर किसी विमान में स्थानांतरण या पारगमन में, ले जाए गए या ले जाने के लिए, सहमति के साथ, ऐसी सहमति यात्रियों के विमान संचालक की सूची में उस व्यक्ति के पंजीकरण से प्रकट होती है;

(ट) "आरक्षण प्रणाली" का अर्थ है विमान संचालक की आंतरिक प्रणाली, जिसमें यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना उद्देश्यपूर्ण आरक्षण के लिए एकत्र की जाती है;

(ठ) "प्रस्थान का समय" या "प्रस्थान समय" का अर्थ है विमान के भारत आने से पहले या भारत से टेक-ऑफ के समय, व्यक्तियों या सामानों के अंतिम बिंदु से टेक-ऑफ का समय, विमान, जो व्यक्तियों या सामानों को ले जाता है, के मामले में, जैसा भी मामला हो;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का, और जो यहां परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है।

3. **राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र-** यात्री- यात्रियों के जोखिम विश्लेषण के लिए प्रासंगिक किसी भी अन्य जानकारी के साथ पीएनआरजीओवी प्रारूप में यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना प्राप्त करने और संसाधित करने के लिए, विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय, दिल्ली द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- यात्री होगा, के उद्देश्य के लिए: -

(ए) अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन, या

(बी) कानून प्रवर्तन एजेंसियां या भारत या किसी अन्य देश के सरकारी विभाग विनियम 10 के प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट कर सकते हैं।

4. **विमान संचालक का पंजीकरण-** प्रत्येक विमान संचालक इन विनियमों के **अनुबंध-I** के अनुसार प्रपत्र में उचित अधिकारी के पास पंजीकरण करेगा।

5. **यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना का प्रसारण-** (1) प्रत्येक विमान संचालक इन विनियमों के अनुबंध-II में दी गई सूची के अनुसार उन यात्रियों के नाम रिकॉर्ड की सूचना, जो उन्होंने व्यापार संचालन के सामान्य क्रम में पहले ही ऐसी जानकारी एकत्र कर ली है, निर्दिष्ट सीमा शुल्क प्रणालियों को PNR GOV EDIFACT संदेश प्रारूप का उपयोग करते हुए पुश विधि द्वारा स्थानांतरित करेगा।

(2) विमान संचालक, जहां उड़ान को किसी अन्य विमान संचालक के साथ कोड-साझा किया जाता है, वह उप-विनियमन (1) में निर्दिष्ट जानकारी को स्थानांतरित करेगा।

(3) तकनीकी विफलता की स्थिति में, यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना किसी अन्य उपयुक्त माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी, जैसा कि राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र- यात्री द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, सूचना सुरक्षा का उचित स्तर सुनिश्चित करते हुए।

(4) प्रत्येक विमान संचालक यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना स्थानांतरित करेगा: -

(क) प्रस्थान समय से चौबीस घंटे पहले, और

(ख) प्रस्थान के समय – जब पहिए बंद हो जाए।

व्याख्या :- इस विनियम के प्रयोजन के लिए;-

(क) *PNR GOV EDIFACT* का अर्थ विश्व सीमाशुल्क संगठन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित किसी भी मानक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रारूप का संदेश है जिसे कुशलता से प्रसारित किया जा सकता है;

(ख) "पुश विधि" का अर्थ वह तरीका है जिसके द्वारा कोई विमान संचालक 'यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना' को प्रस्थान नियंत्रण प्रणाली या ऐसे विमान संचालक की आरक्षण प्रणाली से राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- यात्री के डेटाबेस में स्थानांतरित करता है।

6. **लुप्त सूचना की आपूर्ति, यदि कोई हो-** (1) प्रत्येक विमान संचालक या उसका अधिकृत एजेंट, जो प्रस्थान से पहले या उसके समय अवगत हो जाता है कि इन विनियमों के तहत उनके द्वारा प्रदान की गई कोई भी सूचना अधूरी या गलत है, ऐसी पूरी या सटीक सूचना तुरंत विनियम 5 में निर्दिष्ट तरीके से प्रदान करेगा।

7. सूचना की गोपनीयता और सुरक्षा - (1) सीमाशुल्क निर्दिष्ट प्रणाली द्वारा प्राप्त यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना उस समय लागू किसी भी कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्त सूचना गोपनीयता और सुरक्षा के अधीन होगी।

(2) किसी व्यक्ति की नस्ल या जातीय मूल, राजनीतिक विचार, धर्म या दार्शनिक विश्वास, ट्रेड यूनियन सदस्यता, स्वास्थ्य, यौन जीवन या यौन अभिविन्यास का खुलासा करने वाली यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना के प्रसंस्करण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र- यात्री द्वारा यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रक्रिया स्थापित करके केवल विधिवत अधिकृत अधिकारियों के लिए सुलभ एक सुरक्षित प्रणाली में यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना प्राप्त, संग्रहित, संसाधित और प्रसारित की जाएगी।

8. सूचना के प्रतिधारण की अवधि - (1) सीमा शुल्क निर्दिष्ट प्रणाली में प्राप्त यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना ऐसी प्राप्ति की तारीख से कार्यालय वर्षों की अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए रखी जाएगी:

बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत प्रावधान लागू नहीं होंगे, यदि जांच, अभियोजन या किसी अदालती कार्यवाही के दौरान ऐसी जानकारी की आवश्यकता होती है।

(2) उप-विनियम (1) के तहत निर्दिष्ट पांच वर्षों की समाप्ति के बाद, संबंधित जानकारी, जो सीधे उस यात्री की पहचान करने का काम कर सकती है जिससे पीएनआर जानकारी संबंधित है, को छिपाकर उसका प्रतिरूपण या अनामीकरण द्वारा निराकृत किया जाएगा,:

बशर्ते कि इस तरह की प्रतिरूपित या अनामीकृत जानकारी को निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किसी अभिज्ञेय मामले, खतरे या जोखिम के संबंध में उपयोग किए जाने पर पुन: वैयक्तिकृत या जाहिर किया जा सकता है:

बशर्ते आगे कि आगे के विश्लेषण और अध्ययन के लिए प्राप्त जानकारी का उपयोग केवल किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा किया जा सकता है जो राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- यात्री के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक के पद से नीचे का न हो।

9. लेखा परीक्षा - यात्री नाम रिकॉर्ड जानकारी के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशक द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- यात्री के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक के पद के अधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर एक व्यापक स्वतंत्र प्रणाली लेखा परीक्षा और सुरक्षा लेखा परीक्षा होगी। ।

बशर्ते कि उक्त अधिकारी प्रणाली लेखा परीक्षा और सुरक्षा लेखा परीक्षा दोनों नहीं करेगा।

10. अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या विदेशी राज्यों के साथ जानकारी साझा करना:- जब यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना किसी भी अपराध से संबंधित हो, तो मौजूदा समय में लागू किसी भी कानून के तहत, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय सीमाशुल्क लक्षित केंद्र- यात्री, अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या भारत के सरकारी विभागों या किसी अन्य देश के साथ मामला-दर-मामला आधार पर प्रासंगिक जानकारी साझा कर सकता है।

बशर्ते कि इस तरह के प्रासंगिक यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना को अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों या भारत के सरकारी विभागों या किसी अन्य देश के साथ साझा करना सूचना के समान स्तर की गोपनीयता और सूचना और सुरक्षा उपायों के संरक्षण के अधीन होगा:

बशर्ते आगे कि ऐसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां या भारत या अन्य देशों के सरकारी विभाग सूचना मांगते समय उस उद्देश्य को निर्दिष्ट करें जिसके लिए ऐसी सूचना मांगी जा रही है।

11. शास्ति - किसी भी अन्य कार्रवाई, जो किसी विमान संचालक या उसके अधिकृत एजेंट के खिलाफ अधिनियम के प्रावधानों, या मौजूदा समय में लागू किसी अन्य कानून के तहत की जा सकती है, पर पूर्वाग्रह के बिना, राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्षित केंद्र- यात्री के प्रधान अपर महानिदेशक या अपर महानिदेशक, एक विमान संचालक या उसके अधिकृत एजेंट पर, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है या अनुपालन करने में विफल रहता है, गैर-अनुपालन के प्रत्येक कार्य के लिए जुर्माना लगा सकते हैं, जो कि कम से कम पच्चीस हजार रुपये लेकिन पचास हजार रुपये से अनधिक होगा।

अनुलग्नक -I

[विनियम 4 देखें]

प्रपत्र

पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

1. स्थायी खाता संख्या (पैन) विवरण के साथ आवेदक का नाम: -

(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो फर्म के प्रत्येक भागीदार या कंपनी के निदेशकों का नाम, जैसा भी मामला हो)

2. आवेदक का पूरा पता:-

(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो फर्म के प्रत्येक भागीदार या कंपनी के निदेशकों का पूरा पता, जैसा भी मामला हो)

3. अधिकृत व्यक्तियों का/ के नाम और पता:-

(यदि आवेदक एक फर्म या कंपनी है, तो उसके भागीदार या भागीदारों या निदेशक या निदेशकों या पूरी तरह से अधिकृत कर्मचारियों के नाम जो वास्तव में पीएनआर सूचना दाखिल करने के काम में लगे हों)।

4. प्रत्येक व्यक्ति की शैक्षिक योग्यता जो वास्तव में पीएनआर जानकारी भरने में लगे हों

5. संलग्नक: -

(क) अनुबंध की प्रति, या

(ख) समझौता ज्ञापन, या

(ग) विदेशी अधिकृत एजेंट के साथ किया गया समझौता

मैं/ हम एतद्वारा घोषणा करता/ती हूं/ करते हैं कि उपरोक्त अनुच्छेदों की विषय-वस्तु मेरी/ हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है।

दिनांक:

स्थान:

आवेदक/ आवेदकों के हस्ताक्षर

अनुलग्नक –II

[विनियम 5 देखें]

यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना संबंधित क्षेत्रों की सूची

1. पीएनआर रिकॉर्ड लोकेटर कोड
2. आरक्षण/ टिकट जारी करने की तारीख
3. इच्छित यात्रा की तारीख (तारीखें)
4. नाम
5. उपलब्ध फ्रीक्वेंट फ्लायर और लाभ की जानकारी (अर्थात, मुफ्त टिकट, उन्नयन, आदि)
6. पीएनआर पर यात्रियों की संख्या सहित पीएनआर पर अन्य नाम
7. सभी उपलब्ध संपर्क (ईमेल, दूरभाष संख्या, मोबाइल नंबर की जानकारी (आरक्षण के प्रारम्भक सहित)
8. सभी उपलब्ध भुगतान/ बिलिंग सूचना (जैसे क्रेडिट कार्ड संख्या)
9. विशिष्ट पीएनआर के लिए यात्रा कार्यक्रम।
10. ट्रैवल एजेंसी / ट्रैवल एजेंट.
11. कोड शेयर सूचना (उदाहरण के लिए, जब एक हवाई वाहक दूसरे हवाई वाहक की उड़ान में सीट बेंचता है)
12. खंडित/ विभाजित जानकारी (उदाहरण के लिए, जब एक पीएनआर में दूसरे पीएनआर का संदर्भ होता है)
13. यात्री की यात्रा - स्थिति (पुष्टि और चेक-इन स्थिति सहित)
14. टिकट संख्या, एकतरफा टिकट और स्वचालित टिकट किराया उद्धरण (एटीएफक्यू) स्थान सहित टिकट संबंधी सूचना
15. सामान की जानकारी.
16. सीट संख्या सहित सीट की जानकारी
17. अन्य सेवा संकेतित (ओएसआई), विशेष सेवा संकेतित (एसएसआई) और पूरक सेवा अनुरोध (एसएसआर) सूचना सहित सामान्य टिप्पणियां
18. कोई भी एकत्रित एपीआईएस सूचना (उदाहरण के लिए, अग्रिम यात्री सूचना (एपीआई) जिसे एक हवाई वाहक द्वारा अपने पीएनआर के अंतर्गत शुरू में कैप्चर किया जाता है, जैसे पासपोर्ट संख्या, जन्म तिथि और लिंग)
19. संख्या 1 से 18 में सूचीबद्ध पीएनआर में सभी ऐतिहासिक परिवर्तन.

[फा. सं. CBIC-21/90/2022-INV-CUSTOMS-CBEC]

डॉ. राज़ी एन. एस, अवर सचिव (तस्करी-रोधी इकाई)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th August, 2022

No. 67/2022 – Customs (N.T.)

G.S.R. 621(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (ab) of sub-section (2) of section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These regulations may be called as the Passenger Name Record Information Regulations, 2022.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

(b) "aircraft operator" means a person or organization or enterprise engaged in or offering to engage in the operation of aircraft other than,-

(i) a "State aircraft" as defined in the Aircraft Rules, 1937; or

(ii) an aircraft, which is used for the transportation of passengers or goods by air, and specifically excluded for the purposes of these regulations by an order of the Board; to, from, or through India;

(c) "authorized agent" includes a person who is authorized by, or on behalf of such aircraft operator to undertake all acts connected with the entry and clearance of the operator's aircraft, crew, passengers, cargo, mail, baggage (including unaccompanied baggage) or stores;

(d) "crew member" means a person assigned on duty onboard an aircraft;

(e) "Departure Control System" means the system, containing check-in information such as seat number and baggage information, used to check passengers onto flights;

(f) "international flight" means a flight,-

(i) from a place within India to a place outside India; or

(ii) from a place outside India to a place within India;

(g) "National Customs Targeting Centre-Passenger" means National Customs Targeting Centre-Passenger referred to under regulation 3;

(h) "passenger" includes any person, other than crew member, in transfer or transit, carried or to be carried, in an aircraft on an international flight, with the consent, such consent being manifested by that person's registration in the passengers list, of the aircraft operator;

(i) "reservation system" means the aircraft operator's internal system, in which passenger name record information are collected for the purpose of reservations;

(j) "time of departure" or "departure time" means the time of take-off from the last point of embarkation of persons or goods before the aircraft arrives in India or the time of take-off from India, as the case may be, in the case of an aircraft which carries persons or goods;

(2) The words and expressions used herein and not defined in these regulations but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. National Customs Targeting Centre-Passenger.- The National Customs Targeting Centre-Passenger established by the Board to receive and process passenger name record information along with any other information relevant for risk analysis of passengers for the purpose of,-

(a) the prevention, detection, investigation and prosecution of offences under the Act and the rules and regulations made there under, or

(b) the law enforcement agencies or government departments of India or any other country may specify for the purposes of regulation 10.

4. Registration of aircraft operator.- Every aircraft operator shall register with the proper officer in the FORM as per **Annexure-I** to these regulations.

5. Transmission of passenger name record information.- (1) Every aircraft operator shall transfer the passenger name record information, as per list in **Annexure –II** to these regulations**,** of passengers they have already collected such information in the normal course of business operations, to the designated Customs systems by push method using PNRGOV EDIFACT message format.

(2) The aircraft operator where the flight is code-shared to any other aircraft operator shall transfer the information specified in sub-regulation (1).

(3) In the event of technical failure, passenger name record information shall be transferred by any other appropriate means, as may be directed by the National Customs Targeting Centre-Passenger, ensuring an appropriate level of information security.

(4) Every aircraft operator shall transfer passenger name record information not later than twenty four hours before the departure time; or at the departure time - wheels off.

Explanation,- For the purpose of this regulation,-

(a) "PNRGOV EDIFACT" means a message of any standard electronic message format endorsed jointly by World Customs Organisation, International Civil Aviation Organisation and International Air Transport Association which can be efficiently transmitted;

(b) "push method" means the method whereby an aircraft operator transfers passenger name record information from the departure control system or the reservation system of such aircraft operator to database of the National Customs Targeting Centre-Passenger.

6. Supply of missing information, if any.- (1) Every aircraft operator or its authorised agent who becomes aware, before or at the time of departure, that any information provided by them under these regulations is incomplete or inaccurate, shall immediately provide such complete or accurate information in the manner as specified in regulation 5.

7. Privacy and protection of information.- (1)The passenger name record information received by Customs designated system shall be subject to the strict information privacy and protection in accordance with the provisions of any law for the time being in force.

(2) Processing of passenger name record information revealing a person's race or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, health, sexual life or sexual orientation, shall not be permitted.

(3) The passenger name record information shall be received, stored, processed and disseminated in a secure system accessible only to the duly authorized officers by establishing robust procedure to protect the privacy of passengers and crew members by the National Customs Targeting Centre-Passenger.

8. Period of retention of data.- (1) The passenger name record information received in Customs designated system shall be retained for a maximum period of five years from the date of such receipt:

Provided that the provisions under this sub-regulation shall not be applicable, if such information is required in the course of an investigation, prosecution, or any court proceeding.

(2) After expiry of five years specified under sub-regulation (1), it shall be disposed of by depersonalisation or anonymisation through masking out the relevant information which can serve to identify directly the passenger to whom the passenger name record information relates:

Provided that such depersonalised or anonymised information may be repersonalised or unmasked when used in connection with an identifiable case, threat or risk for the specified purposes:

Provided further that the information received may be used for further analysis and study only by an authorized officer not below the rank of Principal Additional Director General or Additional Director General of the National Customs Targeting Centre-Passenger.

9. Audit.- There shall be an extensive independent system audit and security audit on annual basis, to prevent any misuse of the passenger name record information by an officer of the rank of Principal Additional Director General or Additional Director General of the National Customs Targeting Centre-Passenger appointed by the Director General of Analytics and Risk Management:

Provided that the said officer shall not carry out both the system audit and security audit.

10. Sharing of information with other law enforcement agencies or foreign states.- When passenger name record information relates to any offence, under any law for the time being in force, at national or international level, the National Customs Targeting Centre-Passenger, may share the relevant information on a case-to-case basis with other law enforcement agencies or government departments of India or any other country.

Provided that sharing of such relevant passenger name record information with other law enforcement agencies or government departments of India or any other country shall be subject to maintenance of same level of information privacy and protection of information and safeguards:

Provided further that such other law enforcement agencies or government departments of India or other countries shall, while seeking information, specify the purpose for which such information is being sought.

11. Penalty.- Without prejudice to any other action that may be taken against an aircraft operator or his authorised agent under the provisions of the Act, or any other law for the time being in force, the Principal Additional Director General or Additional Director General of the National Customs Targeting Centre-Passenger, may impose a penalty which shall not be less than twenty five thousand rupees but not more fifty thousand rupees, for each act of non-compliance, on an aircraft operator or his authorised agent who contravenes or fail to comply with any provisions of these regulations.

Annexure-I

[See regulation 4]

FORM

Application Form for Registration

1. Name of applicant with detail Permanent Account Number (PAN): -

(In case the applicant is a firm or a company, the name of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be)

2. Full address of the applicant: -

(In case the applicant is a firm or a company, the full address of each of the partners of the firm or the directors of the company as the case may be)

3. The name(s) and address of the authorised persons: -

(In case the applicant is a firm or a company, the name(s) of its partner or partners or director or directors or duly authorised employees who will actually be engaged in the work of filing PNR Information).

4. Educational qualification of each of the persons who will actually be engaged in the filling of PNR information.

5. The enclosures: -

(a). Copy of contract, or

(b). Memorandum of understanding, or

(c). Agreement entered into with the foreign authorizing agent.

I/We hereby declare that the contents of the above paragraphs are true to the best of my/our knowledge.

Date:

Place:

Signature of the applicant(s)

Annexure-II

[see regulation 5]

List of passenger name record information fields

1. PNR record locator code.
2. Date of reservation/issue of ticket.
3. Date(s) of intended travel.
4. Name(s).
5. Available frequent flyer and benefit information (i.e., free tickets, upgrades, etc.).
6. Other names on PNR, including number of travellers on PNR.
7. All available contact (email, telephone number, mobile number information (including originator of reservation)).
8. All available payment/billing information (e.g. credit card number).
9. Travel itinerary for specific PNR.
10. Travel agency/travel agent.
11. Code share information (e.g., when one air carrier sells seats on another air carrier's flight).
12. Split/divided information (e.g., when one PNR contains a reference to another PNR).
13. Travel status of passenger (including confirmations and check-in status).
14. Ticketing information, including ticket number, one-way tickets and Automated Ticket Fare Quote (ATFQ) fields.
15. Baggage information.
16. Seat information, including seat number.
17. General remarks including Other Service Indicated (OSI), Special Service Indicated (SSI) and Supplemental Service Request (SSR) information.
18. Any collected APIS information (e.g., Advance Passenger Information (API) that is initially captured by an air carrier within its PNR, such as passport number, date of birth and gender).
19. All historical changes to the PNR listed in numbers 1 to 18.

[F. No. CBIC-21/90/2022-INV-CUSTOMS-CBEC]

Dr. RAJI N.S., Under Secy. (Anti-Smuggling Unit)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.08.08 21:28:33 +05'30'